

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/परिवीक्षा/एफ.002/2024/

दिनांक :-

**आदेश**

राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 की अनुपालना में निम्नलिखित कनिष्ठ सहायकों को उनकी परिवीक्षा अवधि सन्तोषप्रद पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके सम्मुख अंकित तिथि से रू. 20800 (लेवल-5) में उनका वेतन नियतन करते हुये एतद् द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थाई किया जाता है :-

क्र.स.	नाम कर्मचारी	पदस्थापन स्थान	प्रथम नियुक्ति तिथि	2 वर्ष पश्चात परिवीक्षा पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि	कम्प्यूटर योग्यता RSCIT प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण तिथि	टंकण परीक्षा उत्तीर्ण तिथि
1.	श्रीमती मधु, कनिष्ठ सहायक	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चाणौद जिला पाली।	14.10.2021	14.10.2023	22.12.2021	लागू नहीं।
2.	श्री सुरेन्द्र कुमार, कनिष्ठ सहायक	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, उप जिला चिकित्सालय, धोरीमन्ना, जिला-बाडमेर।	07.06.2021	07.06.2023	RSSB चयनित	RSSB चयनित

**नोट:-** क.स. 1 पर अंकित श्रीमती मधु, कनिष्ठ सहायक को कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. (51)कार्मिक/क-2/88 पार्ट दिनांक 13.05.2011 एवं 02.01.2017 के अनुसरण में कर्मचारी को टंकण अर्हता परीक्षा से मुक्त रखा गया है।

(सुरेश नवल)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राज. जयपुर

दिनांक :- 09/02/2024

क्रमांक :- ई-18/एम/परिवीक्षा/एफ.002/2024/ 19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, उप जिला चिकित्सालय, धोरीमन्ना, जिला-बाडमेर/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चाणौद जिला पाली।
2. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
3. संबंधित कार्मिकों को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राज. जयपुर

RajKaj Ref  
5436629

Document certified by SURESH  
NAWAL <add4ng@gmail.com>.

Digitally Signed by Suresh  
Kumar Naval  
Designation: Director  
Date :08-02-2024 11:04:43